न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर

वाद प0 सं0 24/2019 निर्णय दिनांक 27/9/19

पीठासीन अधिकारीः युगान्तर शर्मा, आर0ए0एस0

भंवरलाल व अन्य बनाम श्रीमती उषा देवी व अन्य

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि उनकी ग्राम हाथोज स्थित खातेदारी भूमि ख.न. 44/1 स्थित है जिसमें से एक सडक मौके पर निकली इस कारण उनकी भूमि ख.न. 44/1 दो भागो में विभक्त हो गयी। अर्थात भूमि सडक की तरमीम नहीं की गयी है। सडक के दोनों तरफ है। सडक की तरमीम नही की गयी है। सडक के दूसरी तरफ स्थित प्रार्थीगण की भूमि की सीमा से लगवा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख.न. 377/1 है। अप्रार्थी संख्या 11 अन्य अप्रार्थीगण से मिली भगत कर प्रार्थीगण कीजमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को फैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे खातेदारी की उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी के कब्जे व काश्त एवं उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। समस्त अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाव अनुसार मौके पर सडक ख.न. 44/1 के मध्य से नहीं निकली। प्रार्थी द्वारा यह भी जाहिर नहीं किया गया की सडक के दोनो ओर यदि भूमि है तो उसका रकबा कितना है। खसरा नंबर 44/1 व खसरा

21

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

Scanned by CamScanner

नंबर 377/1 की सीमा मौके पर लगवा नहीं है। अप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 377/1 का कोई भी हिस्सा भू भाग हस्तांतरित नहीं किया है। उसने अपनी खातेदारी भूमि को बाउण्ड्रीवाल से यह दूर कर रखा है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दुहराव करते हुये नवीन तथ्य बताया कि ख.स. 44 में से 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि अवाप्त की गयी थी। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा खसरा संख्या 44/1 में कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। खसरा संख्या 377/1 व 44/1 के मध्य काफी दूरी है। बहुत से ऐसे लोग प्रार्थीगण है जो खसरा संख्या 44/1 के खातेदार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा सडक के दोनों तरफ कितना–कितना रकबा है यह स्पष्ट नहीं किया गया न ही कोई प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं किया गया या न ही ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिससे यह स्पष्ट हो कि ख.स. 44/1 के कुल रकबा में से सडक का रकबा निकालने के बाद कितना कितना रकबा रोड के दोनो तरफ आता है। पत्रावली का अवलोकन कर बहस उभयपक्ष मनन करने पर पाया कि राजस्व नक्शे अनुसार ख.स. 44/1 व 377/1 की सीमा आपस में लगती हुई नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का नियमतः शुल्क जमा करवा कर सीमांकन भी नहीं करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण यह सिद्व करने में असफल रहे हैं कि सुविधा का संतुलन उनके पक्ष है और उन्हें कोई अपूरणीय क्षतिकारिता हो ~~अथवा~~ हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (प्रथम), जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yugantar
Date: 2019.11.06 17:00:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: